... अपीलांट अनुपस्थित। अपीलांट स्वयं उपस्थित
श्री ... अनुपस्थित। बार बार आवाज
पुकारवाई गई कोई भी उपस्थित नहीं
हुआ। एकपक्षीय बहस पेशकार सरकार
की सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश
दिनांक 13/2/24 को पेश हो।

Rab
जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

13/2/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। वास्ते आदेश 28/2/24 को पेश हो।

28/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के साथ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 322/2016 बउनवान शंकरलाल रेबारी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 से प्रश्नगत आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण प्रमाणित होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 395/14 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2014 को यथावत रखा गया है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य को छुपाकर पुनः तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 395/14 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2014 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की है जिसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।

Rab
जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.26 16:48:14 IST
Reason: SelfAttested

7000